

06<sup>1</sup>/<sub>26</sub>

अपीलांत के अधिवक्ता अनु. अधिवक्ता  
अपीलांत को रेसपो. की तब्बी वास्ते पूर्व  
में पर्याप्त अवसर दिष्ट जाने के बावजूद  
भी रेसपो. की तामिली नहीं करवाई गई।  
अतः अपीलांत की यह अपील अदम पैरवी  
सर्व अदम न्यायालय पालना आदेश में  
स्वार्थ की जाती है। फ़ावली फैसल शुगर  
लोक नंबर से कम हो सर्व काखिल वक्ता  
हो।



अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)